न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी जगदीश आर्य आर0ए0एस

मुकदमा नं0 144 / 2019

हारून पुत्र सुलतान जाति मेव निवासी गांव अहलवाडी तहसील पहाडी

वादी

बनाम

1. रसीद पुत्र सुल्तान जाति मेव निवासी गांव अहलवाडी तहसील पहाडी

प्रतिवादी

2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर)

फौरमल प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री मौहम्मद खां वकील वादी

दिनांक 16.12.2019

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 302 / 0.04, 304 / 0.03, 545 / 0.39, 562 / 0.25, 563 / 0.26, 564 / 0. 47,628 / 0.39, 629 / 0.12, 630 / 0.14, 634 / 0.28, 660 / 0.57, 669 / 0. 41, 671 / 0.52, बांके ग्राम अहलवाडी तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी मुतदाविया पक्षकारान की सम्मलित खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादी व प्रतिवादी निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है और मौके पर सम्मलित रूप से कब्जा व काश्त है। किन्तु अब पक्षकारान के मध्य सम्मलित रूप से काश्त करना संभव नहीं है क्योंकि वक्त फसल आपस में झगडा फिसाद होता रहता है और आपस में तनाजा बना रहता है। आराजी मुत0 को अभी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। आराजी मुतदाविया पर विधिवत बंटवारा करने हेतु वादी ने प्रतिवादी से कहा तो वे टालमटोल करता रहा किन्तु दिनांक 07.11.2019 को स्पष्ट रूप से विभाजन करने से इन्कार कर दिया। विधि वजह वादी आराजी मुतदाविया का मुताविक हिस्सा राजस्व रिकार्ड अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का

उपखण्ड अधिकारी (भरतपुर) राज0

Scanned with OKEN Scanner

वादी एवं प्रतिवादी के मध्य किया जाकर अलग–अलग खाता व राज लगान कायम करा पाने का अधिकारी है। अतः दावा वादी में विवादित आराजी के सम्बन्ध में मुताबिक हिस्सा वादी व प्रतिवादी के मध्य विभाजन किया जावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने साक्ष्य वादी में कोई सबूत पेश नहीं किये।

वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है । अतः दावा वादी प्राथमिक डिक्री फरमाया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 302/0.04, 304/0.03, 545/0.39, 562/0.25, 563/0.26, 564/0.47,628/0.39, 629/0.12, 630/0.14, 634/0.28, 660/0.57, 669/0.41, 671/0.52, बांके ग्राम अहलवाडी तहसील पहाडी के मुताबिक हिस्सा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजीयात के कुर्रेजात मँगाये जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जावें।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। ऐसी स्थिति में दावा वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया जाता है विवादित आराजी खसरा नम्बर 302/0.04, 304/0.03, 545/0.39, 562/0.25, 563/0.26, 564/0.47,628/0.39, 629/0.12, 630/0.14, 634/0.28, 660/0.57, 669/0.41, 671/0.52, बांके ग्राम अहलवाडी तहसील पहाडी मुताबिक हिस्सा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजीयात की बाबत तहसीलदार पहाडी को रिपोर्ट कुर्रेजात भिजवाने हेतु लिखा जावें। तदानुसार पर्चा प्राथमिक डिक्री तैयार कर शामिल पत्रावली किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).

Scanned with OKEN Scanner